

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ई-राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 एच एच पटवार हल्का 2 एल एल तहसील श्री गंगानगर के खाला संख्या 89/71 के मुरबा नबर 43.45 की कुल 9288 ई0 में 1/4 हिस्सा नही रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाला संख्या 91/73 के मुरबा नबर 45 के 3.112 ई0 रकबे में 1/4 हिस्सा नही रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गुरप्यार सिंह पुत्र श्री महेंद्रसिंह जाति छिपा दर्ज है इस मूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिल है तथा फसल काबाल की हुई है। प्रार्थी घर व गाव में गुरप्यार सिंह व मखनसिंह दोनों नामों से भी पुकारते है जिसके कारण जमाबंदी में गुरप्यारसिंह दर्ज है जबकि अन्य दरखाज जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिवार राशन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम मखन सिंह दर्ज है। मखनसिंह व गुरप्यारसिंह दो अलग अलग व्यक्ति नही है बल्कि एक ही व्यक्ति के दो नाम है चूंकि प्रार्थी के समस्त दरखाज मखनसिंह के नाम से है परन्तु जमाबंदी में गुरप्यारसिंह दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। इस मूमि पर जौन लेने में भी दिक्कत होती है इसलिए प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम दकरल/संशोधित करवाना चाहता है तथा जमाबंदी में अपना नाम गुरप्यारसिंह के स्थान पर मखनसिंह उर्फ गुरप्यारसिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैड से आया है इसलिए प्रार्थी उक्त संशोधन दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के गाव के सरपंच ने भी अपने लेटरपेड पर प्रमाणित किया है मखन सिंह उर्फ गुरप्यारसिंह पुत्र श्री महेंद्रसिंह जाति छिपा गांव 7 एच एच टाणी का निवासी है इस व्यक्ति को

दिनांक :- 27.09.2019

**— :: आदेश :: —**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान ई-राजस्व अधिनियम 1956

— — अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार, जारिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

**— :: बर्नाम :: —**

— — प्रार्थी

1. मखनसिंह पुत्र उर्फ गुरप्यारसिंह पुत्र श्री महेंद्रसिंह जाति छिपा सिख निवासी 7 एच एच टाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अनवान :- प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019

पीठाधीन अधिकारी :- मुकेश बौरैल  
आर.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर



**श्रीगंगानगर**  
**उपखण्ड अधिकाारी (राजस्व)**  
**(मुकेश बारी)**

*(Handwritten signature)*

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तकमील दफ्तर दाखिल हो।  
 निम्नवाड़े जावे। पञ्चवली निर्णय कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु रिपोर्ट में अमलदरमद के आदेश दिये जाते है।  
 गुरप्यारसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की प्रति गुरप्यारसिंह के स्थान पर मखनसिंह उर्फ राजस्व रिपोर्ट में दर्ज के 3.112 हे० रकब में 1/4 हिस्सा नही रकबा 91/73 के मुरबा नबर 45 के 3.112 हे० रकब में 1/4 हिस्सा नही रकबा में 1/4 हिस्सा नही रकबा राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है तथा खाला संख्या गंगानगर के खाला संख्या 89/71 के मुरबा नबर 43.45 की कुल 9.288 हे० के अनुसरण में एक 5 एच एच पटवार हल्का 2 एल एल तहसील श्री अजयपुरा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 सरपंच ग्राम पंचायत 4एलएल एचम पंचायत लायरेक्टर, श्रीगंगानगर की अजयपुरा तहसीलदार (राजस्व) श्री अभिलेख बाबा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दरतावेजाल का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।  
 का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पञ्चवली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की राज प्रेरकार की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संशोधित कर उसके स्थान पर मखनसिंह उर्फ गुरप्यारसिंह दर्ज किया जावे।  
 में दर्ज है तथा खाला संख्या 91/73 के मुरबा नबर 45 के 3.112 हे० रकब में 1/4 हिस्सा नही रकबा राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की प्रविष्टियों को नबर 43.45 की कुल 9.288 हे० में 1/4 हिस्सा नही रकबा राजस्व रिपोर्ट हल्का 2 एल एल तहसील श्री गंगानगर के खाला संख्या 89/71 के मुरबा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक 5 एच एच पटवार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा यह वाद कारण है। जाये तो अप्रार्थी ने कहा कि इसके लिये आपको श्रीमान उपखण्ड अधिकाारी से संशोधित कर गुरप्यारसिंह के स्थान पर मखनसिंह उर्फ गुरप्यारसिंह किया दिनांक 24.03.2017 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जमाबन्दी दोना ही नामों से जाना जाता है। नेटर पैड सलान वाद पत्र है। प्रार्थी ने

